2016/00064

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक (आर०ए०एस०)
रेफरेन्स संख्या :- **05/2016**
प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

अप्रार्थीगण :-

1. खींयाराम पुत्र गंगाराम कौम नायक सा. कोडिया
2. मिश्रीलाल पुत्र खींयाराम कौम नायक सा. कोडिया
3. बीरमाराम पुत्र पुसाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया
4. भंवरीदेवी पत्नी बीरमाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया
5. मोबाराम पुत्र बीरमाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया
6. सीता पत्नी मोबाराम् कौम मेघवाल सा. कोडिया
7. छोटी देवी पत्नी श्यामलाल कौम मेघवाल सा. कोडिया
8. शिम्भूदयाल पुत्र हरद्वारमल कौम ब्राह्मण सा. देह
9. घेवरराम पुत्र सायबराम कौम ग्वारिया सा.देह
10. प्रकाशराम पुत्र हेमाराम कौम ग्वारिया सा.देह
11. ताराचन्द पुत्र हेमाराम कौम ग्वारिया सा.देह
12. मानाराम पुत्र लूणाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया
13. बिसोरीदेवी पत्नी मानाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया
14. मूलाराम दत्तक पुत्र पेमाराम कौम सरगरा
15. राजूराम पुत्र खींयाराम कौम नायक सा. कोडिया
16. भंवरी देवी पत्नी राजूराम कौम नायक सा. कोडिया
17. भंवरी देवी पत्नी तारचन्द कौम माली सा. देह
18. संगीता देवी पत्नी अनील कुमार कौम माली सा. देह
19. सुरेश पुत्र रूघनाथ कौम मेघवाल सा. देह
20. कौशल्या देवी पत्नी सुनिल कुमर कौम माली सा. देह
21. लोडूराम पुत्र चूनाराम कौम नायक सा. कोडिया
22. श्यामलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम मेघवाल सा.देह
23. कालूराम पुत्र श्यामलाल कौम मेघवाल सा. देह
24. श्रवणराम पुत्र लिछ्मणराम कौम मेघवाल सा. कोडिया

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री वीरेन्द्र सिंह जोधा अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 9 ता 24 की और से।

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 01.09.2021

{1} यह रेफरेन्स राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की सेवा में रेफरेन्स कराये जाने हेतू तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

{2} रेफरेन्स के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खाटुखुर्द में गत बन्दोबस्त की आधार जमाबंदी संवत 2005 से 2025 तक एवं बाद में जमाबन्दी चौसाला संवत 2013–13,2014–17 एवं 2018–21 में आराजियात "डोली बनाम मंदिर रूघनाथजी महाराज वाके देह जेनारायण वल्द रामबक्ष मालरीद वल्द कालूराम व चतुरभुज वल्द रामबक्ष व परबुदयाल गणेश लिछ्मण परसराम पि० भूराराम कौम ब्राह्मण सा० देह डोलीदार" दर्ज है जिसके खसरा पत्रक संवत 2017 के अनुसार गत खसरा संख्या 1010 मिन रकबा 80–02 बीघा व वर्तमान खसरा संख्या 1318 रकबा 80–02 बीघा है। नये बन्दोबस्त में अनियमित रूप से राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजियात में निम्नानुसार खातेदारी दी जाकर परिवर्तन कर दिया गया -

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	नाम खातेदारान जिनके पक्ष में खातेदारी दी गई।
1318	80–02	बारानी अव्वल	मगा वल्द भूरा, पेमा वल्द रामू, भैरू वल्द गणेश कौम सरगडा 5/6 व भागीरथ वल्द बिरधीचन्द कौम ब्राह्मण 1/6 सा० देह खातेदार

उक्त खसरान में कालान्तर में विभिन्न प्रकार के हस्तान्तरण (विक्रय,विरासत आदि) के माध्यम से होकर खसरा नंबर 1318 की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है -

मूल खसरा संख्या	रकबा	नये खसरा संख्या	रकबा	नाम खातेदारान जिनके पक्ष में खातेदारी दी गई।
1318	80–02 बीघा	2003/1318	1–10	खींयाराम पुत्र गंगाराम कौम नायक सा. कोड खातेदार
		2223/1318	1–03	मिश्रीलाल पुत्र खींयाराम कौम नायक सा. कोडिया खातेदार
		2004/1318	1–10	बीरमाराम पुत्र पुसाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया खातेदार
		2224–1318	1–03	भंवरी देवी पत्नी बीरमाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया खातेदार

जिला कलक्टर, डीडवाना

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

		2005/1318	1–10	मोबाराम पुत्र बीरमाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया खातेदार
		2225/1318	1–03	सीता पत्नी मोबाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया खातेदार
		1989/1318	22–05	छोटी देवी पतनी श्यामलाल कौम मेघवाल सा.देह खातेदार
		1990/1318	13–07	शिम्भुदयाल पुत्र हरद्वारमल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार
		1986/1318	3–10	घेवरराम पुत्र सायबराम कौम ग्वारिया सा. देह खातदेार
		1987/1318	3–10	प्रकाशराम पुत्र हेमाराम कौम ग्वारिया सा. देह खातेदार
		1988/1318	3–10	ताराचन्द पुत्र हेमाराम कौम ग्वारिया सा. देह खातेदार
		1984/1318	1–10	मानाराम पुत्र लूणाराम कौम मेघवाल सा. कोडिया खातेदार
		2222/1318	1–03	बिसोरीदेवी पत्नी मानाराम कौम मेघवाल सा.कोडिया खातेदार
		1985/1318	11–15	मूलाराम दत्तक पुत्र पेमाराम कौम सरगरा सा.देह खातेदार
		2006/1318	1–10	राजूराम पुत्र खींयाराम कौम नायक सा. कोडिया खातेदार
		2226/1318	1–10	भंवरी देवी पत्नी राजूराम कौम नायक सा. कोडिया खातेदार
		2001/1318	1–10	मिश्रीलाल पुत्र खींवाराम कौम नायक सा. कोडिया भंवरी देवी पत्नी तारचन्द 1105.98 वर्गमीटर संगतीदेवी पतनी अनिल कुमार 1105.98 वर्गमीटर कौम माली सा.देह खातेदार
		2002/1318	1–10	सुरेश पुत्र रूघनाथ कौम मेघवाल सा. देह संगीता देवी पत्नी अलि कुमार हि. 1053.16 वर्गमीटर कौशल्या देवी पत्नी सुनिल कुमार हि. 1053.16 वर्गमीटर कौम माली सा.देह खातेदार
		1998/1318	1–10	लोडूराम पुत्र चूनाराम कौम नायक सा. कोडिया कौशल्या पत्नी सुनिलकुमार हि 1064.35 वर्गमीटर भंवरीदेवी पत्नी ताराचन्द 1064.35 वर्गमीटर
		1999/1318	1–10	श्यामलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम गेघवाल सा. देह खातेदार संगीतादेवी पत्नी अनिलकुमार हि. 1087.74 वर्गमीटर कौशल्या देवी पत्नी सुनिलकुमार हि.1087.74 वर्गमीटर कौम माली सा.देह खातेदार
		2000/1318	1–10	कालूराम पुत्र श्यामलाल कौम मेघवाल सा.देह कौशल्यादेवी पत्नी सुनिलकुमार हि. 1189.35 वर्गमीटर भंवरीदेवी पत्नी ताराचन्द 1189.35 वर्गमीटर कौम माली सा.देह खातेदार

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

		1318	1—10	श्रवणराम पुत्र लिछमणराम कौम मेघवाल सा. कोडिया भंवरीदेवी पत्नी ताराचन्द 1010.45 वर्गमीटर संगीतादेवी पत्नी अनिल कुमार 1010.45 वर्गमीटर कौम माली सा.देह खातेदार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक - प-2(4)राज:90/37 दिनांक 13.12.1991 के पैरा संख्या 4 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

1. भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाये उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सिवायत का नाम नहीं लिखा जावे।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनमें पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।
3. जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उसमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है यहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक - प-3(2)राज:9/2007/14 दिनांक 14.05.2007 के पैरा संख्या 2 में निम्न निर्देश प्रदान किये गये-

1. जागिरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।मंदिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है।वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी,सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

प्रश्नगत भूमि गत बन्दोबस्त में राजस्व रेकर्ड मंदिर की ख़ुदकाश्त भूमि रही है। नवीन बन्दोबस्त खुदकाश्त की भूमि में मंदिर का नाम हटाकर खातेदारी दर्ज की गई जो कि पूर्णत: नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी थी। इस प्रकार शुरू से मंदिर की भूमि में किये गये खातेदारी संबंधी इन्द्राज अवैध एवं शून्य थे। अत: उसके बाद किये गये समस्त हस्तानान्तरण भी अवैध एवं शून्य है। अत: रेफरेन्स पेश कर निवेदन है उक्त आराजी भूमि के गैर कानूनी हस्तान्तरण को निरस्त करवाकर उक्त भूमि वापस "डोली बनाम मंदिर रूघनाथजी महाराज " के नाम दर्ज करावे।

{3} प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

1 ता 7 व 9 ता 24 की और से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 8 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तामील करवाया गया, बावजूद सूचना के भी अप्रार्थी संख्या 8 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

{4} वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 7,14,17,18, व 20 की और से दिनांक 21.01.2017 को जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा संख्या 1318, 1985/1318, 1998/1318 ,2000/1318, 1999/1318, 2001/1318, 2002/1318 आबादी में संपरिर्वतन सुदा भूमि है जो पूर्व में कृषि भूमि थी। उक्त भूमि को तहसीलदार द्वारा पूर्ण जांच कर आबादी में परिवर्तित किया गया है जिससें उक्त अप्रार्थीगण द्वारा आबादी शुदा होने से प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की गई है जिससे अप्रार्थीगण को बेबुनियाद फंसाया गया है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर पक्के मकानात बनाकर वर्षो से निवासरत है। यदि उक्त जायगा खसरा नंबर 1318 रकबा 80 बीघा 02 बिस्वा "डोली बनाम मंदिर रूघनाथजी महाराज वाके देह जेनारायण वल्द रामबक्ष मालरीद वल्द कालूराम व चतुरभुज वल्द रामबक्ष व परबुदयाल गणेश लिछमण परसराम पि०भूराराम कौम ब्राह्मण सा०देह डोलीदार" दर्ज है तो जमाबन्दी चौसाला के अनुसार उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा पूर्व में क्यों नहीं की गई। तथा तहसीलदार डीडवाना द्वारा उक्त खेत खसरा नंबर 1318 की भूमि के समय-समय पर आबादी संपरिवर्तन किया गया है जिससें समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की है जिसकी वजह से उक्त जायगा में मकानात बनाकर अप्रार्थीगण वर्षो से निवास कर रहे है जो अप्रार्थीगण द्वारा जरिये प्रतिफल के क्रय की गई है। अतः सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

आगे वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व 9 से 13,15,16,19 व 21 से 24 की और से दिनांक 08.01.2017 को जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त अप्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा संख्या 2003/1318, 2223/1318, 2004/1318, 2224/1318, 2005/1318, 2225/1318, 1986/1318, 1987/1318, 1988/1318, 1984/1318, 2222/1318, 2006/1318, 2226/1318, 2002/1318, 1998/1318, 1999/1318,1999/1318, 2000/1318 व 1318 में से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचाण के खरीद की हैं । उक्त अप्रार्थीगण सद्भावी क्रेता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी में डोली भूमि होने का अंकन नही होने से अप्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई । उक्त खसरान की भूमि पूर्व में कृषि भूमि थी जिसे तहसीलदार द्वारा पूर्ण जांच कर आबादी भूमि में भी परिवर्तित किया गया है

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतः उक्त वाद में पूर्व खातेदार एवं तहसीलदार पूर्णतया दोषी है जिनकी वजह से अप्रार्थीगण को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड रहा है । अप्रार्थीगण उक्त वाद में सद्भावी केता है जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

{5} बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 1318, 1985/1318, 1998/1318 ,2000/1318, 1999/1318, 2001/1318, 2002/1318 , 2003/1318, 2223/1318, 2004/1318, 2224/1318, 2005/1318, 2225/1318, 1986/1318, 1987/1318, 1988/1318, 1984/1318, 2222/1318, 2006/1318, 2226/1318, 2002/1318, 1998/1318, 1999/1318, 1999/1318, 2000/1318 व 1318 की भूमि प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की गई है उक्त खसरान की भूमि पूर्व में कृषि भूमि थी जिसे तहसीलदार द्वारा पूर्ण जांच कर आबादी भूमि में भी परिवर्तित किया गया है अतः उक्त वाद में पूर्व खातेदार एवं तहसीलदार पूर्णतया दोषी है जिनकी वजह से अप्रार्थीगण को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड रहा है । अप्रार्थीगण उक्त वाद में सद्भावी केता है जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

{6} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम खाटुखुर्द में गत बन्दोबस्त की आधार जमाबंदी संवत 2005 से 2025 तक एवं बाद में जमाबन्दी चौसाला संवत 2013-13, 2014-17 एवं 2018-21 में आराजियात "डोली बनाम मंदिर रूघनाथजी महाराज वाके देह जेनारायण वल्द रामबक्ष मालरीद वल्द कालूराम व चतुरभुज वल्द रामबक्ष व परबुदयाल गणेश लिछमण परसराम पि०भूराराम कौम ब्राह्मण सा०देह डोलीदार" दर्ज है जिसके खसरा पत्रक संवत् 2017 के अनुसार गत खसरा संख्या 1010 मिन रकबा 80-02 बीघा एवं वर्तमान खसरा संख्या 1318 रकबा 80-02 बीघा है परन्तु नये बंदोबस्त में राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजियात खसरा संख्या 1318 रकबा 80-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल में खातेदारी मगा वल्द भूरा, पेमा वल्द रामू, भैरू वल्द गणेश कौम सरगडा 5/6 व भागीरथ वल्द बिरधीचन्द कौम ब्राह्मण 1/6 सा० देह खातेदार के पक्ष में दर्ज कर दी गई । प्रश्नगत भूमि गत बन्दोबस्त में राजस्व रेकर्ड मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही है परन्तु नवीन बंदोबस्त में खुदकाश्त की

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

भूमि में मंदिर का नाम हटाकर खातेदारी दर्ज की गई जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी है। चूंकि विधि का सुस्थपित सिद्धान्त है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः नवीन बंदोबस्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजियात खसरा संख्या 1318 रकबा 80–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल में खातेदारी मगा वल्द भूरा, पेमा वल्द रामू, भैरू वल्द गणेश कौम सरगडा 5/6 व भागीरथ वल्द बिरधीचन्द कौम ब्राह्मण 1/6 सा० देह खातेदार, खातेदारी अवैध तथा निरस्त योग्य है तत्पश्चात उक्त खसरान में कालान्तर में विभिन्न प्रकार के हस्तान्तरण भी प्रभावहीन एवं निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाना है , रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम खाटु खूर्द के खसरा नंबर 2003/1318 रकबा 1–10 , 2225/1318 रकबा 1–03, 2004/1318 रकबा 1–10, 2224/1318 रकबा 1–03 , 2005/1318 रकबा 1–10, 2225/1318 रकबा 1–03, 1989/1318 रकबा 22–05, 1990/1318 रकबा 13–07 ,1986/1318 रकबा 3–10, 1987/1318 रकबा 3–10, 1988/1318 रकबा 3–10 , 1984/1318 रकबा 1–10, 2222/1318 रकबा 1–03 ,1985/1318 रकबा 11–15 , 2006/1318 रकबा 1–10 , 2226/1318 रकबा 1–10, 2001/1318 रकबा 1–10, 2002/1318 रकबा 1–10, 1998/1318 रकबा 1–10, 1999/1318 रकबा 1–10, 2000/1318 रकबा 1–10, 1318 रकबा 1–10 कुल रकबा 80–02 बीघा पर अप्रार्थीगण की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर उक्त भूमि पुनः "मंदिर/डोली रुघनाथ जी महाराज" वाके खाटु खुर्द दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)